झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1182 वर्ष 2017

वीणा वर्मा, पे0 आलोक कुमार, निवासी–फ्लैट सं0 101, हरिराम अपार्टमेंट, होलीडे होम के नजदीक, डाकघर–रांची विश्वविद्यालय, थाना–गोंडा, कांके, जिला–रांची

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. अध्यक्ष, झारखण्ड अकादमिक परिषद, ज्ञानदीप कैम्पस, बरगवां, नामकुम, डाकघर, थाना–नामकुम, जिला–रांची

3. सचिव, झारखण्ड अकादमिक परिषद, ज्ञानदीप कैम्पस, बरगवां, नामकुम, डाकघर, थाना–नामकुम, जिला–रांची

4. सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, एच0ई0सी0, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अमित कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिएः– एस0सी0–II के जे0सी0

उत्तरदाता सं0 2 एवं 3 के लिएः–श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

04 / 12.06.2017 इस रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता गृह विज्ञान के विषय में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर प्रत्यर्थियों द्वारा छोड़ी गई एक रिक्ति को भरने की प्रार्थना करता है।

याचिकाकर्ता के वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्ष 2010 में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमें गृह विज्ञान सहित के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद भरने के लिए आवेदन की मांग की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि 38 रिक्तियां प्रकाशित की गई थीं, लेकिन जब वर्ष 2015 में परिणाम प्रकाशित किया गया तो केवल 37 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से एक पद रिक्त था। वह प्रस्तुत करते हैं कि उक्त पद को भरा जाना चाहिए।

झारखण्ड अकादमिक परिषद के वकील प्रस्तुत करते हैं कि पूरे रिट आवेदन में एक बार भी उल्लेख नहीं है कि यह याचिकाकर्ता 38वां उम्मीदवार था। वह इस न्यायालय का ध्यान उस परिणाम पर ले जाता है जो वर्ष 2015 में प्रकाशित किया गया है, जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश नहीं की गई थी।

नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2011 में शुरू हुई थी और यह वर्ष 2015 में समाप्त हो गई। जे0ए0सी0 के वकील के अनुसार नया विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मुझे इस रिट आवेदन में कोई गुणागुण नहीं मिलती है, इसे खारिज किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)